कार्यालय अधिशाषी अभियनता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद

क्र.सं. :–380 दिनांक :–04-06-2025

सेवा में,

श्रीमान उप वन संरक्षक,
बारां।

विषय :– जनदप बांरन में आर0आर0एस0एम0पी0 योजना के तहत (प्रकरण संख्या FP/RAJ/ROAD/6954/2014) जलवाड़ा से किषनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु निर्माण हेतु 2.96 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

संदर्भ :– शासन सचिव (वन), राजस्थान सरकार का पत्र क्रमांक प.1(22)वन / 2015 दिनांक 27.01.2025

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 8 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त प्रस्ताव के क्रम में दिनांक 04.08.2016 द्वारा भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त कार्य जन उपयोगी होने के कारण 19.08.2020 को सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया। जिसके फलस्वरूप दिनांक 07.7.2023 को अरण्य भवन जयपुर कार्यालय में Review of work pending due to forest clearance of PWD Baran Project के दौरान निर्णय में उक्त कार्य का निस्तारण दण्डात्मक राशि की गणना कर डिमाण्ड द्वारा राशि 22,83,348 रूपये जमा करने का निर्णय लिया गया था। कार्यालय उप वन संरक्षक बारॉ द्वारा उक्त के क्रम में दिनांक

22.01.2024 को जारी डिमाण्ड का भुगतान विभाग द्वारा 05.02.2024 को जमा करा दिया गया था तथा उक्त के क्रम में समस्त दस्तावेज विभाग द्वारा 4 प्रतियों में 12.09.2024 को उप वन संरक्षक कार्यालय को भिजवा दी गई थी। उक्त प्रस्ताव को जन उपयोगी के आधार पर उक्त प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति जारी करने के कृपा करें।

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सावर्जनिक निर्माण विभाग, खण्ड शाहबाद

Scanned by CamScanner

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :– pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक : 692 दिनांक : 12/9/2024

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बारां।

विषय :– जलवाड़ा से किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के क्रम में।

Proposal No. :- FP/RJ/ROAD/6954/2014

प्रसंग :– श्रीमान् उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) अरण्य भवन, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ. 14( )2018/बारां रोड़स/एफसीए/प्रमुवसं./1490–91 दिनांक 11.06.2024 के क्रम में।

Dear Sir,

With Due respect in reference of above mention subject. We submitting the reply for the EDS Raised by Forest Deparment for the Proposal as follows.

S. No.	EDS Raised/Shortcomings in the proposal	Repaly of EDS
A. Compliance of EDS Dated 29.07.2024 :-		
1	आप द्वारा पालना सीधे ही बिना अपनी बिन्दुवार पालना के प्रेषित की गयी है जो कि उचित नही है। भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण बिन्दुवार पालना प्रेषित करें।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्रांक 1568 दिनांक 10.03.2021 द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अतः पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 677 दिनांक 10.09.2024 द्वारा प्रस्तुत की जा रही है।
2	प्रस्ताव में दिनांक 23.08.2016 को सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। लगभग पालना 8 वर्षों बाद पालना भेजी गयी है। पालना प्रेषित करने में हुए विलम्ब का कारण स्पष्ट करें। उप वन संरक्षक, बारां की बिन्दुवार पालना एवं No Violation Certificate अप्राप्त है।	वन विभाग द्वारा बार–बार आक्षेप लगाने एवं राज्य सरकार से NPV इत्यादि राशि देरी से प्राप्त होने के कारण बिन्दुवार पालना रिपोर्ट देरी से प्रस्तुत की गई तथा विभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त ही कार्य किया गया है। अतः Violation नहीं किया गया है।
3	NGT आदेशों के प्रति सैद्धान्तिक स्वीकृति को अखबार में छाया (प्रकाशित) कर प्रति संलग्न की जानी है।	अखबारों की प्रति पुनः संलग्न है। (प्रति संलग्न)
4	प्रकरण में प्राप्त गैर वन भूमि की नोटिफिकेशन प्रति संलग्न नही है।	श्रीमान् के स्तर से किया जाना है।
5	समेकित 103.4 है. का डिजीटल मानचित्र संलग्न नही है।	पूर्व में भी संलग्न कर दिया गया है। अब पुनः डिजीटल मानचित्र संलग्न किया जा रहा है।

अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :– pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक : 677 दिनांक : 10/9/2024

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बारां।

विषय :– जनदप बांरन मे आर0आर0एस0एम0पी0 योजना के तहत (प्रकरण संख्या FP/RAJ/ROAD/6954/2014) जलवाड़ा से किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

प्रसंग :– आपका पत्र क्रमांक एफ( ) एफ.सी.ए. / उवस / 2020–21 / 9322 दिनांक 12.10.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तो को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट पूर्व में भी एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1017 दिनांक 28.10.2020 द्वारा भिवायी गई थी जो निम्नानुसार है :–

क्र.सं.		
शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	शर्त सख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2..96 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.96 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये 3,82,284/– (2.96 है0 X Rs. 1,29,150 प्रति है0) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.05 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.96 है0 X 164100/– रू. प्रति हैक्टयर की दर से राशि 485736/– रू. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022–23/520 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रू. 100344/– की मांग की गई थी। उक्त राशि रू. 100344/– केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई हैं। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.96 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है0) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4 है0) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।

शर्त संख्या 4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ०सी० दिनांक 05.02.'2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी. बी.) की निर्धारित राशि रूपये– 18.52 लाख (2.96 है० X Rs. 6.26 लाख प्रति है०) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 4 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ०सी० दिनांक 05.02.'2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रूपये– (2.96 है० X Rs. 6.26 लाख प्रति है०) की दर से राशि रू. 1852960/– केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022–23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रू. 982069/– एवं दण्डात्मक राशि रू. 1405868/– की मांग की गई थी। उक्त राशि रू. 982069/– एवं राशि रू. 1405868 कुल राशि रू. 2387937/– केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 5	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4' फीट ऊंचे आर०सी०सी० पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी०जी०पी०एस० निर्देशाक, Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त सख्या 5 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे आर.सी.सी. ल्लिरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त सख्या 6 के तहत वन क्षेत्र में सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जायेगा। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नही है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण के दौरान किसी तरह का मक उत्पादित नही होगा। अतः शर्त सं. 6 की अनुपालना में मक डिसपोजल योजना की आवश्यकता नही होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई०आर०सी० के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27/2015 बाबूलाल, जाजू, बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	शर्त सं. 7 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा डमकपंद पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नही लिया गया है।
शर्त संख्या	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा	शर्त सख्या 8 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर

8	दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।	लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा–निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई। प्रति संलग्न है।
	भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।	संलग्न कर दी गई है।

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :— pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक : 54 दिनांक : 18/4/2024

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बारां।

विषय :— जनदप बांरन में आर0आर0एस0एम0पी0 योजना के तहत (प्रकरण संख्या FP/RAJ/ROAD/6954/2014) जलवाड़ा से किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

प्रसंग :— आपका पत्र क्रमांक एफ( ) एफ.सी.ए./उवस/2020—21/9322 दिनांक 12.10.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट पूर्व में भी एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1017 दिनांक 28.10.2020 द्वारा भिवायी गई थी जो निम्नानुसार है :—

क्र.सं.		
शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	शर्त सख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.96 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.96 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये 3,82,284/— (2.96 है0 X Rs. 1,29,150 प्रति है0) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.05 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख—रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.96 है0 X 164100/— रू. प्रति हैक्टयर की दर से राशि 485736/— रू. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022—23/520 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रू. 100344/— की मांग की गई थी। उक्त राशि रू. 100344/— केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.96 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है0) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4 है0) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।

शर्त संख्या 4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.'2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रूपये– 18.52 लाख (2.96 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 4 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.'2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रूपये– (2.96 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रू. 1852960/– केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022–23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रू. 982069/– एवं दण्डात्मक राशि रू. 1405868/– की मांग की गई थी। उक्त राशि रू. 982069/– एवं राशि रू. 1405868 कुल राशि रू. 2387937/– केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 5	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4' फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त सख्या 5 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे आर.सी.सी. ल्लिरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त सख्या 6 के तहत वन क्षेत्र में सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जायेगा। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नही है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण के दौरान किसी तरह का मक उत्पादित नही होगा। अतः शर्त सं. 6 की अनुपालना में मक डिसपोजल योजना की आवश्यकता नही होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27/2015 बाबूलाल, जाजू, बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	शर्त सं. 7 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा डमकपंद पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नही लिया गया है।
शर्त संख्या	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा	शर्त सख्या 8 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर

8	दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।	लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा–निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई। प्रति संलग्न है।
	भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।	संलग्न कर दी गई है।

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :– pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में वन भूमि की वैद्यानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :– pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की अनुपालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.05 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.96 है0 X 164100/– रू. प्रति हैक्टयर की दर से राशि 485736/– रू. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022–23/520 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रू. 100344/– की मांग की गई थी। उक्त राशि रू. 100344/– केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.96 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :— pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4 है0) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :– pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में शर्त संख्या 4 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.'2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रूपये–(2.96 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रू. 1852960/– केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022–23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रू. 982069/– एवं दण्डात्मक राशि रू. 1405868/– की मांग की गई थी। उक्त राशि रू. 982069/– एवं राशि रू. 1405868 कुल राशि रू. 2387937/– केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :— pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से करवाकर गैर वन भूमि का हस्थानान्तरण वन को कर दिया जायेगा । प्रतिलिपि संलग्न कर दी गई है।

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :– pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तानुसार सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :– pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि जलवाड़ा से किशनपुरा सड़क भराव (Embankment) में बनायी जावेगी। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नही है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी तरह का मक उत्पादित नही होगा। अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नही होगी।

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :– pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नही लिया गया है।

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :– pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

Land to be allotted to Forest Department

PWD circle Baran

As on 11.09.2014

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hactare)	Remark
1	2		3	4	6	18
	Old Cases					
1	Chhabra	Chipabarod	PMGSY	पाटरी से भटगांव	1.50	
2	Shahbad	Shahbad	PMGSY	मामोनी से मोहनपुर	2.60	
				योग	4.10	
	New Cases					
1	Chhabra	Chhabra	5054 / RURAL ROAD	हिंगलोट से मदनाखेड़ी वाया हरिपुरा	3.00	
2	Chhabra	Chhabra	5054/ SHW	कोटा धरनावदा सड़क	13.58	
3	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	खल्दा से खल्दी	0.61	
4	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	कदीली से लाटखेड़ा	3.20	
5	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	माधोपुरा से जैतपुरा	4.00	
6	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	ढिकोनिया से तलावड़ा	7.50	
7	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	नेहरूपुरा से झिरी	4.00	
8	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	बिची से रामपुर उपरेटी	2.50	
9	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	एन.एच.–76 किमी. 573/0 से धुआं	2.60	
10	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर से बरारा	0.55	
11	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (Missing Link)	गरडा से जैसवा	4.00	
12	Shahbad	~~Kishanganj~~ SBD	RIDF-XVII (RSAMB)	कस्बाथाना से बमनगवा	5.20	
13	Shahbad	Shahbad	RRSMP	उनी केदारकुई से सिलोरा	3.00	
14	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	ख्यावदा से हरिपुरा	1.00	
15	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	जलवाड़ा से किशनपुरा	3.00	
16	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	गोरधनपुरा से घट्टा	0.50	
17	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	खण्डेला से हलावनी	2.00	
18	Shahbad	Shahbad	RRSMP	बीलखेड़ा डांग से पाटन	1.00	
19	Shahbad	Shahbad	RRSMP	केदारकुई से मुहाल	7.00	
20	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	भंवरगढ से रनवासी	2.50	
21	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रनवासी से रनवासा	0.80	
22	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	गोरधनपुरा से कालीमाटी	3.00	
23	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रामगढ काला पट्टा सडक किमी. 2/500 से करवाला लक्ष्मीपुरा	2.00	
24	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	करवरी खुर्द से बामनदेह	4.20	
25	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	लकडाई से मामली वाया दुर्जनपुरा	1.00	
26	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	मामली लक्ष्मीपुरा पटपडी सडक	3.00	
27	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर गुण्डियर सडक (रामपुर उपरेटी) से ईसाटोरी	4.00	
28	NH Division	Atru		कवाई	3.25	

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hactare)	Remark
1	2		3	4	6	18
29	NH Division	Atru		खेडली गादिया	1.02	
30	NH Division	Atru		सिंगनी जागीर	1.21	
31	NH Division	Chipabarod		बरडावदा	0.44	
32	NH Division	Chipabarod		कालपा जागीर	1.66	
33	NH Division	Chipabarod		नयापूरा	4.92	
				योग	98.24	
				कुल योग	102.34	

(सुनिल माथुर)
अधीक्षण अभियंता
सा0नि0वि0 वृत बारां

LAYOUT PLAN OF ALTERNATE LAND FOR FOREST

KHASRA NO.: 39,41,42,114,115,116,138,149 (Village: BILANDI) KHASRA NO.:1173,1175 (Village: BORSON) KHASRA NO.: 368 (Village: THAKA)

Tehsil : ANTA, Distt. BARAN

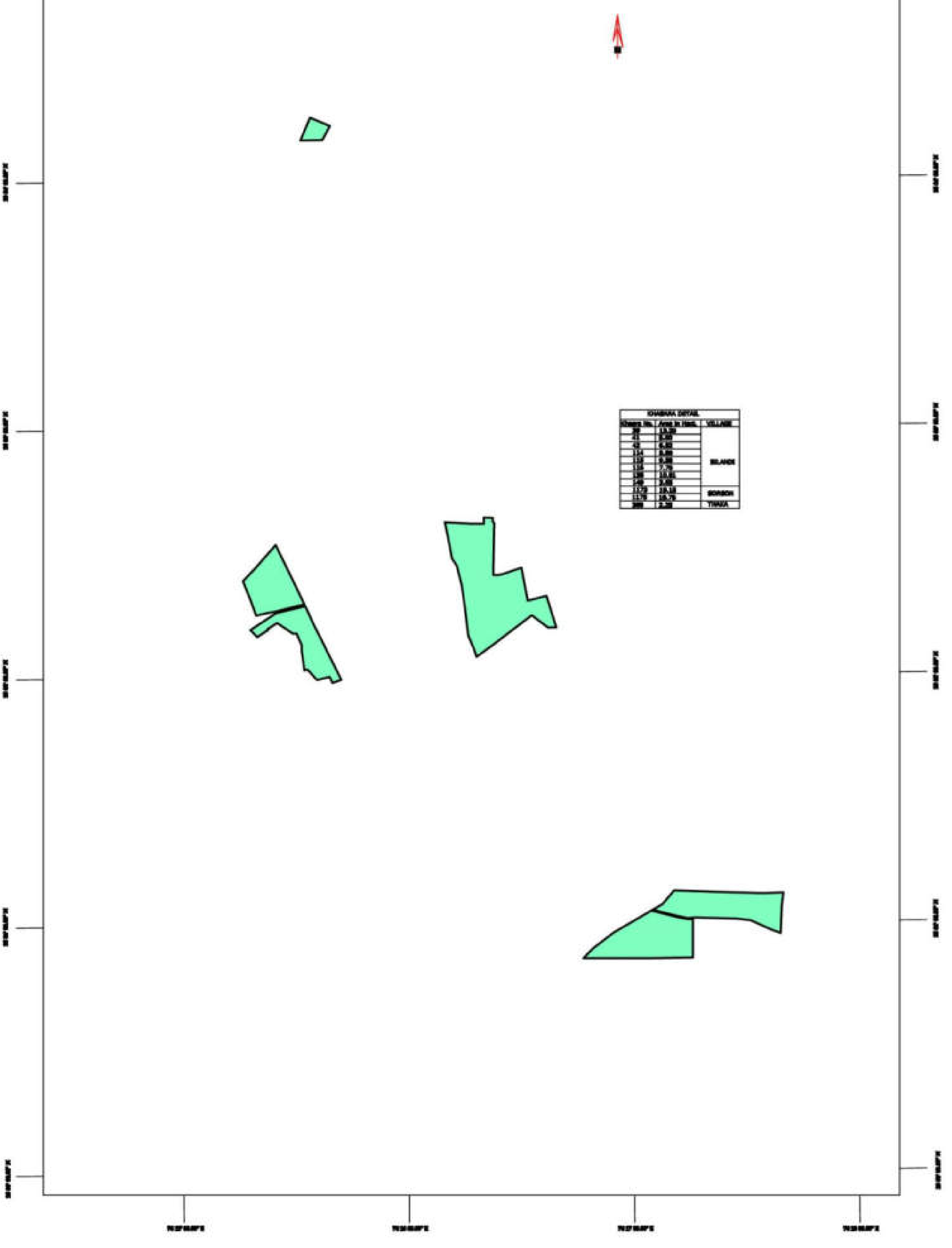

KHASRA DETAIL		
Khasra No.	Area in Hect.	VILLAGE
39	[illegible]	BILANDI
41	[illegible]	
42	[illegible]	
114	[illegible]	
115	[illegible]	
116	[illegible]	
138	[illegible]	
149	[illegible]	
1173	[illegible]	BORSON
1175	[illegible]	
368	[illegible]	THAKA

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला कलक्टर बारां द्वारा आदेश कमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार गैर वनभूमि (103.40 है0) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

तहसील अन्ता ग्राम बिलेण्डी की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि वानिकी कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नही है यह समस्त गैर वनभूमि यूज़र एजेन्सी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20
			41	5.00
			43	6.52
			114	5.60
			115	9.58
			116	7.70
			138	10.81
			149	3.63
		योग	योग	62.24

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक (नरेन्द्र शर्मा (व.र.)

2 नाका प्रभारी ओमप्रकाश मीणा 06/09/17

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी

क्षेत्रीय वन अधिकारी
अन्ता जिला बारां

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारॉं

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हल्का पटवारी

2 कानूनगो

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारॉं

Scanned by CamScanner

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सडक परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला कलक्टर बारां द्वारा आदेश कमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार गैर वनभूमि (103.40 है0) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

तहसील अन्ता ग्राम ताखा की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि वानिकी कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई अतिकमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नही है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर एजेन्सी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)
1		ताखा	368	2.25
		कुल	1 किता	2.25

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक

2 नाका प्रभारी

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हल्का पटवारी

2 कानूनगो

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

Scanned by CamScanner

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला कलक्टर बारां द्वारा आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार गैर वनभूमि (103.40 है0) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

तहसील अन्ता ग्राम सोरसन की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि वानिकी कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नही है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर एजेन्सी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क.स.	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)
1		सोरसन	1175	19.76
			1173	19.15
		योग	2 किता	38.91

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक [signature]

2 नाका प्रभारी [signature]

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी [signature and stamp: क्षेत्रीय वन अधिकारी ... जि0 बारां]

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हल्का पटवारी [signature]

2 भू-अभिलेख निरीक्षक [signature]

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

[signature]
राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

[signature]
(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

Scanned by CamScanner

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

...का नाम :- ताखा

...हल्का :- मानपुरा

...भि.नि. :- खजूरनाकला

...ील :- अन्ता

...ा :- बाराँ

अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 105

खाता संख्या पुराना :- 100

...तकार का नाम:-

... उपवन संरक्षक बारां वन विभाग हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

...रा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
...68	2.2500	जंगलात	2.2500	0.00			
...ल खसरे - 1	2.2500		2.2500				

...ह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है |

...सका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है |

...कल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020

NIC

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
रा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

Scanned by CamScanner

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

का नाम :- सोरसन

अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

र हल्का :- सोरसन

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

भू.अ.नि. :- सोरसन

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

हसील :- अन्ता

खाता संख्या नया :- 617

ला :- बाराँ

खाता संख्या पुराना :- 1

काश्तकार का नाम:-

1. वन विभाग 293 हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
173	19.1500	गैं.मु.जंगल 19.1500	0.00			
175	19.7600	गैं.मु.जंगल 19.7600	0.00			
176	2.0000	गै.मु.जंगल 2.0000	0.00			
177	18.6600	गै.मु.बरड़ा 18.6600	0.00			
527	26.0000	गैं.मु.जंगल 26.0000	0.00			
1528	32.8500	गैं.मु.जंगल 32.8500	0.00			
1529	31.5000	गैं.मु.जंगल 31.5000	0.00			
1530	17.6000	गैं.मु.जंगल 17.6000	0.00			
1531	21.0000	गैं.मु.जंगल 21.0000	0.00			
1532	20.0000	गैं.मु.जंगल 20.0000	0.00			
1533	15.0000	गैं.मु.जंगल 15.0000	0.00			
1543	12.4900	गैं.मु.जंगल 12.4900	0.00			
1544	11.4500	गैं.मु.जंगल 11.4500	0.00			
1548	24.3600	गैं.मु.जंगल 24.3600	0.00			
1552	20.0000	गैं.मु.जंगल 20.0000	0.00			
1781	15.2600	गैं.मु.जंगल 15.2600	0.00			
1784	6.3100	गैं.मु.जंगल 6.3100	0.00			
1785	9.0000	गैं.मु.जंगल 9.0000	0.00			
1786	9.0000	गैं.मु.जंगल 9.0000	0.00			
1787	9.0000	गैं.मु.जंगल 9.0000	0.00			
1788	9.0000	गैं.मु.जंगल 9.0000	0.00			
1789	9.0000	गैं.मु.जंगल 9.0000	0.00			
1790	13.3400	गैं.मु.जंगल 13.3400	0.00			
1791	6.0000	गैं.मु.जंगल 6.0000	0.00			
1795	12.0000	गैं.मु.जंगल 12.0000	0.00			
1796	11.1000	गैं.मु.जंगल 11.1000	0.00			
1796/1968	0.9000	गैं.मु.जंगल 0.9000	0.00			
1797	8.0000	गैं.मु.जंगल 8.0000	0.00			
1798	12.0000	गैं.मु.जंगल 12.0000	0.00			
1799	7.5600	गैं.मु.जंगल 7.5600	0.00			
2136/1524	20.0600	गैं.मु.जंगल 20.0600	0.00			

Scanned by CamScanner

1525	21.3800	गैं.मु.जंगल	21.3800	0.00
1526	16.0600	गैं.मु.जंगल	16.0600	0.00
1176	16.0600	गै.मु.बरड़ा	16.0600	0.00
...नरे - 34	502.8500		502.8500	

...पत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

...का उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

...न जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020

...IC

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
...नि.वि. खण्ड शाहाबाद

Scanned by CamScanner

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2076 - 2079 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

...का नाम :- बिलेण्डी

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

...हल्का :- मानपुरा

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

...भि.नि. :- खजूरनाकला

खाता संख्या नया :- 78

...सील :- अन्ता

खाता संख्या पुराना :- 78

...ला :- बाराँ

...तकार का नाम:-

1. उप वन सरक्षक बारा वन विभाग हेतु हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

...रा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
...14	5.8000	गै.मु.बरड़ा	5.8000	0.00			
...15	9.5800	गै.मु.बरड़ा	9.5800	0.00			
...16	7.7000	गै.मु.बरड़ा	7.7000	0.00			
...38	10.8100	गै.मु.बरड़ा	10.8100	0.00			
...49	3.6300	गै.मु.बरड़ा	3.6300	0.00			
39	13.2000	गै.मु.बरड़ा	13.2000	0.00			
41	5.0000	गै.मु.बरड़ा	5.0000	0.00			
42	6.5200	गै.मु.बरड़ा	6.5200	0.00			
कुल खसरे - 8	62.2400		62.2400				

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020

NIC

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
...नि.वि. खण्ड शाहाबाद

Scanned by CamScanner

s for life?

special courts to fast-track trial in these pending cases, the states of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Telangana and West Bengal had set up just one special court each for such cases.

The amicus said one of the reasons for delay in trial was that the accused exerted money and muscle power to influence witnesses who turned hostile and suggested that the court direct authorities to strictly implement witness protection measures. Moreover, there are many cases where non-bailable arrest warrants issued by trial courts to ensure presence of the accused legislators are not executed.

Full report on www.toi.in

an now nations

For decades, the Sangat world- ble to serve there. Modi govern- n to allow FCRA (licence) to the r Sahib deepens the connect of the Sangat globally and the Sri A blessed moment!", he tweet-

Prime Minister Shri Narendra sed that Wahe Guru ji has taken . The decision on FCRA at the lir Sahib is a pathbreaking

inistry release said Sachkhand lir Sahib, Sri Darbar Sahib, pplied for registration under 27, 2020. On Thursday, the deci- er it as an association of "reli- under FCRA, was communi- . The registration shall remain years, after which it can be re-

Health insurance scheme for J&K

Srinagar: The Jammu and Kashmir administration has launched a health insurance scheme for all residents of the Union Territory who are not covered by PM-JAY.

LT Governor Manoj Sinha said at a press conference here on Friday that the scheme will ensure a health cover of Rs 5 lakh per family to over 70 lakh people across the UT, who are not covered under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (ABPM-JAY).

"In all, 70 lakh people will be covered under the new health insurance scheme, irrespective of their income," he said.

The scheme will be launched on October 2 with the commencement of the 'Back of Village' programme. The scheme will cover 15 lakh families across the UT, and will be implemented through Bajaj Allianz Insurance Company for three years with an insurance premium of Rs 849 per family per year.

The scheme will have a portability option so that the intended beneficiaries can avail of cashless service from healthcare providers across the country. At present, there are 23,300 hospitals across India where the facility can be availed, including 218 public and private hospitals already empanelled in J&K. IANS

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change

Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024 Telefax : 2326696, 2324340, 2324047, 2324025 Email : (Env.)m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

दिनांक : 23.08.2016

पत्र सं. 8बी/राज./06/04/2015/एफ.सी./254

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

ऑनलाईन आवेदन संख्या – FP/RJ/Road/6954/2014

विषय :- जनपद बारां में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत जलवाड़ा से किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

सन्दर्भ :- अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर का पत्रांक- एफ14 (Baran Road)/2014/ एफ.सी.ए./प्रमुवसं/1956, दिनांक 06.07.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित ऑनलाईन आवेदन का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है एवं अतिरिक्त सूचना दिनांक 09 फरवरी, 2016 को ऑनलाईन उपलब्ध करायी गयी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद बारां में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत जलवाड़ा से किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं बिना वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है :-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.96 हे. पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित रुपये 3,82,284/- (2.96 हे. x रुपये 1,29,150 प्रति हे.) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।
उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छ: माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समंकित क्षेत्र (103.4 हे.) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रुपये 18.52 लाख (2.96 हे. x रुपये 6.26 लाख प्रति हे.) जमा की जायेगी।
(जो भी लागू हो) इसके उपरान्त पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन रसीद/बैंक ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी., क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
5. विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। यह सीमांकन 4'' फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जायेगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जायेगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिम्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई.आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगे।
उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक 02 फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग ... जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार

ge
ujarat, India
www.metmedical.edu.in

t

ct of 3 months

bad Municipal Corporation Health/ T Medical College, Ahmedabad, for alk in interview of following posts are

to be downloaded from the link

Scanned by CamScanner

2020

…s for life?

special courts to fast-track trial in these pending cases, the states of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Telangana and West Bengal had set up just one special court each for such cases.

The amicus said one of the reasons for delay in trial was that the accused exerted money and muscle power to influence witnesses who turned hostile and suggested that the court direct authorities to strictly implement witness protection measures. Moreover, there are many cases where non-bailable arrest warrants issued by trial … sure presence of the … legislators are not executed.

Full report on www.toi.in

…an now …nations

For decades, the Sangat worldwide to serve there. Modi government to allow FCRA (licence) to the … Sahib deepens the connect of the Sangat globally and the Sri … A blessed moment!", he tweeted.

Prime Minister Shri Narendra … that Wahe Guru ji has taken … The decision on FCRA at the … Sahib is a pathbreaking …

… House said Sachkhand … Sahib, Sri Darbar Sahib, … applied for registration under … 2020. On Thursday, the decision … it as an association of "religious … under FCRA, was communicated … The registration shall remain … years, after which it can be re…

Health insurance scheme for J&K

Srinagar: The Jammu and Kashmir administration has launched a health insurance scheme for all residents of the Union Territory who are not covered by PM-JAY.

LT Governor Manoj Sinha said at a press conference here on Friday that the scheme will ensure a health cover of Rs 5 lakh per family to over 70 lakh people across the UT, who are not covered under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (ABPM-JAY).

"In all, 70 lakh people will be covered under the new health insurance scheme, irrespective of their income," he said.

The scheme will be launched on October 2 with the commencement of the 'Back of Village' programme. The scheme will cover 15 lakh families across the UT, and will be implemented through Bajaj Allianz Insurance Company for three years with an insurance premium of Rs 849 per family per year.

The scheme will have a portability option so that the intended beneficiaries can avail of cashless service from healthcare providers across the country. At present, there are 23,300 hospitals across India where the facility can be availed, including 218 public and private hospitals already empanelled in J&K. IANS

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change

Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024 Telefax : 2326696, 2324340, 2324047, 2324025 Email : (Env.)m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं. 8बी/राज./06/04/2015/एफ.सी./254 — दिनांक : 23.08.2016

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर।

ऑनलाईन आवेदन संख्या – FP/RJ/Road/6954/2014

विषय :- जनपद बारां में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत जलवाड़ा से किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 है. वन भूमि के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

सन्दर्भ :- अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर का पत्रांक- एफ14 (Baran Road)/2014/ एफ.सी.ए./प्रमुवसं/1956, दिनांक 06.07.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित ऑनलाईन आवेदन का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है एवं अतिरिक्त सूचना दिनांक 09 फरवरी, 2016 को ऑनलाईन उपलब्ध करायी गयी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद बारां में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत जलवाड़ा से किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 है. वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं बिना वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक-स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है :-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.96 है. पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित रुपये 3,82,284/- (2.96 है. x रुपये 1,29,150 प्रति है.) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।
उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है.) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रुपये 18.52 लाख (2.96 है. x रुपये 6.26 लाख प्रति है.) जमा की जायेगी।
इसके उपरान्त पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन रसीद/बैंक ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी., क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
5. विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। यह सीमांकन 4'' फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जायेगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जायेगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई.आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।

…ge
…arat, India
…w.metmedical.edu.in

…t of 3 months
…bad Municipal Corporation Health/ … Medical College, Ahmedabad, for … in interview of following posts are … to be downloaded from the link

Scanned by CamScanner

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169540640
MoEF/SG File No.	8B/RJ/06/04/2015/FC
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division ShahBaran
Amount(in Rs)	2338696/-

Amount in Words :Twenty-Three Lakh Thirty-Eight Thousand Six Hundred and Ninety-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169540640 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169540640
MoEF/SG File No.	8B/RJ/06/04/2015/FC
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shah Baran
Amount(in Rs)	2338696/-

Amount in Words :Twenty-Three Lakh Thirty-Eight Thousand Six Hundred and Ninety-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169540640 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Payment done by
T.V.NO. 3750
23/4/19

उपकोषाधिकारी
शाहाबाद (जिला-बारां)

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

क्रमांकः– एफ–4(5)(30) राजस्व / 2014 / [illegible] दिनांकः– 7 फरवरी, 2017

– आदेश :–

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के एवज में 102.34 हे0 गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने हेतु मांग किये जाने पर उक्त प्रयोजनार्थ तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारां के पत्र क्रमांक 14073 दिनांक 12.09.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ–4(5)(30)राजस्व / 2014 / 5814–20 दिनांक 16.09.2014 से निम्नलिखित भूमियां वन विभाग के नाम आरक्षित (सेट–अपार्ट) की गई है।

उप वन संरक्षक, बारां द्वारा पत्र क्रमांक एफ( )एफ.सी.ए. / उवस / 14–15 / 18782 दिनांक 10.10.2014 से उक्त आरक्षित भूमि को वन विभाग के नाम आवंटन करने की मांग करने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / एफ–4(5)(30)राजस्व / 2014 / 6528–29 दिनांक 21.10.2014 से प्रकरण राजकीय स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने पर श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर के पत्रांक : 2(266)राज.–3 / 14 दिनांक 12.02.15 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित आरक्षित भूमियों को वन विभाग के नाम आवंटन किया जाता है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा न0	रकबा (हे0)	भूमि की किस्म
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20	बंजड
			41	5.00	बंजड
			42	6.52	बंजड
			114	5.80	गैर मुमकिन बरडा
			115	9.56	गैर मुमकिन बरडा
			116	7.70	बंजड
			133	10.81	बंजड
			149	3.63	बंजड
			8 किता	62.24	
2		सोरसन	1175	19.76	गैर मुमकिन बरडा
			1179	19.15	गैर मुमकिन बरडा
			2 किता	38.91	
3		ताखा	369	2.25	गैर मुमकिन बरडा
		कुल योग	11 किता	103.40 हे0	

नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

(डॉ. एस. पी. सिंह)
जिला कलक्टर
बारां

क्रमांकः– एफ–4(5)(30) राजस्व / 2014 / [illegible] दिनांकः– 7 फरवरी, 2017

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।।

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, बारां।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां।
4. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
5. तहसीलदार, अन्ता को भेजकर लेख है कि आवंटित [illegible] का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना भिजवावें।
6. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बारां।
7. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर
बारां

Scanned by CamScanner

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No., 07453&230244

क्रमांक० एफ ( )/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2022–23/ 520 दिनांक 22/1/24

निमित्तः–

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड शाहबाद।

विषय :– जनपद बारां में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत जलवाडा से किशनपुरा सडक के निर्माण हेतु 2.96 है० वन भूमि प्रत्यावर्तन के कम में
Proposal ID NO - FP/RJ/ ROAD /6954/2014 (2.96 ha)

संदर्भः– भारत सरकार वन एव पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनउ का पत्र कमांक 254 दिनांक 23.08.2016 के कम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जलवाडा से किशनपुरा सडक के निर्माण हेतु 2.96 है० वन भूमि प्रत्यावर्तन की प्रथम स्तरीय सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार वन एव पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनउ का पत्र कमांक 254 दिनांक 23.08.2016 को जारी की गई थी ।

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित बिन्दु संख्या – 2 के कम में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धन राशि

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार वेज रेट @252 से चाही गई राशि			सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार वेज रेट @259 से चाही गई राशि			जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
	क्षेत्रफल	दर	राशि	क्षेत्रफल	दर	राशि		
1	2.96	164100	485736	2.96	198000	586080	485736	100344

2. बिन्दु संख्या – 5 के (ग) के कम में NPV की राशि

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार तत्समय प्रचलित दर से चाही गई राशि			सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार NPV की वर्तमान नवीन दर से चाही गई राशि			जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
	क्षेत्रफल	दर	राशि	क्षेत्रफल	दर	राशि		
1	2.96	626000	1852960	2.96	957780	2835029	1852960	982069

3. FCA उल्लंघन के कम में MOEF के परिपत्र दिनांक 29.01.2018 के अनुसार दण्डातमक राशि
   a) उल्लघन की दिनांक – 19.08.2020
   b) कुल प्रभावित क्षेत्रफल – 1.8348 है०
   c) NPV की राशि – 957780 प्रति हैक्टर
   d) शास्ती की गणना 19.08.2020 से 31 दिसम्बर 2023 तक
      1.8348 x 4 x 957780= 7029339 /-
   e) यदि प्रस्ताव जन उपयोगी है तो गणना की राशि का 20% शास्ती के रूप में देय होगा इस प्रकार राशि जो जमा कराई जानी शेष है।
      7029339x(20/100)= 1405868

Scanned by CamScanner

4- कुल राशि का विवरण

क्र. स.	मद का नाम	चाही गई राशि	पूर्व में जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
1	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धन राशि	586080	485736	100344
2	NPV की राशि	2835029	1852960	982069
3	दण्डातमक राशि	1405868	0	1405868
	योग	**4826977**	**2338696**	**2488281**

अतः अब कुल जमा होने वाली राशि 100344 + 982069 + 1405868 = **2488281** रू. केम्पा मद Online e- portal (https;//parivesh.nic.in/) में जमा करवाकर रसीद इस कार्यालय में प्रेषित करे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

दिनांक

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022–23/
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1.अतिःप्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर।
2.संभागीय मुख्य वन संरक्षक,कोटा।
3.अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0बारां।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

Scanned by CamScanner

Reference No :50612268

Government Of Rajasthan
WAM Inner/outer sheet

Month/Year : Feb/2024

Department Code : 65 | Department Name : Public Works Department

Detailed Wam bill of : Ex. En. P.W.D. Div. SHAHBAD (Dist.BARAN)(18436) | OfficeID : 18436

Bill For Works Payment : WAM Payment	Reference No : 3902310	Wam Reference No : #1/1 of 907870
Division Name : PWD SHAHBAD	Division Code : 120	Bill No : 50612268
Date : 19/02/2024	Demand No : 44	DDOCode : 18436
TAN : JDHO01436B	Object Head : 21	Budget Head : 3054-03-337-01-01/SF/V
SF : 0.00 NonPlan : 0.00	NA : 0.00	ContigencyHead :

To,
The Treasury/Sub Treasury Officer,SHAHBAD
Please Order to pay ₹ 2488281 as per the claim contained in this bill

Sign of Clerk | Sign of DA

अधिशापी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहाबाद

I certified that I have personally examined and satisfied myself about the guinness of claim that the claimed bill is strictly in accordance with rules and that the said parties/firm details mentioned in wam bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this drawal is within the limites of grants allotted budget/LC.

I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.

Sign (With Seal/e-Sign/Digital ESign)
9414286802
अधिशापी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहाबाद
आई० डी० कोड नं० - 18436

Sr.No.	Name / Address / Mobile	Bank Name / Account No. / IFSC Code / Branch Name	Invoice No. / Invoice Date(In Case Of Supplier)	Gross Amt / Net Amt	WAMIP	Budget Head / Deduction Amt
1	Rajasthan Campa 7 Bengaluru 9414286802	UNION BANK OF INDIA 150856169540106 UBIN0996335 FCS BANGALORE	0 1/1/1900 12:00:00 AM	2488281.00 2488281.00	3902310	

Gross Amount Rs. 2488281.00 | B.T.Amount: Rs. | Net Amount:Rs. 2488281.00

Amount In Words : TWENTY FOUR LAKH EIGHTY EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED EIGHTY ONE Only

Sign Of DDO with Seal/e-Sign/Digital ESign of DDO
अधिशापी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहाबाद
आई० डी० कोड नं० - 18436

For Accountant General Office

Admitted ₹
Objected ₹

Treasury Voucher

No:
Pay ₹ : 2488281.00
(In Words) : TWENTY FOUR LAKH EIGHTY EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED EIGHTY ONE ONLY
B.T. Heads :

Total :
(In Cash) ₹ : 2488281.00
(In Words) : TWENTY FOUR LAKH EIGHTY EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED EIGHTY ONE ONLY

Auditor | Supdt | Gaz.Officer | Auditor | AAO-I/II | Treasury/Sub Treasury Officer E.Sign

Scanned by CamScanner

Form RPWA 28

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Public Works Department, Jaipur

PayManager Ref. Id(s): 3902310

l No. & Date:

illRef No.: 1382, Dated: 19/02/2024

Division Code: 18436

Division Name: Ex. En. P.W.D. Div. SHAHBAD (Dist.BARAN)

HAND RECEIPT HR Payments for Govt Dept/Govt Agency

(Referred to in PWF&A Rules 418, 424, 436 and 438)

(To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special from 24 and 26 are suitable)

Work: Deposit amount for repatration of forest Land of various road In PWD DN Shahabad

Vendor Name: Rajasthan Campa 7

Sanction/Autorization/BillNo: 6169540106 Dated: 19/02/2024

Reason: N/a

Bank IFSC Code: UBIN0996335

Bank AccountNo.- 150856169540106

Total amount payable to the contractor or supplier In Figures: 24,88,281
(In Words):Rupees Twenty Four Lakh Eighty Eight Thousand Two Hundreds Eighty One Only

Debit Heads / Payment From:

S No.	Head Code	Amount	Remarks
1	3054-03-337-01-01-21-V-P	2488281	WorkId: 182145

Deductions/Recoveries:

S No.	Head Code	Amount	Remarks

This Bill will break in following part(s) for PayManager (Fisrt column will be RefNo to pull it on PayManager)

Ref No.	Head Code	Amount Cr	Amount Dr	Remarks
3902310	3054-03-337-01-01-21-V-P		2488281	WorkId: 182145
	Payment Through Treasury	2488281		

Net Amount Payable In Figures: 24,88,281

Net Amount Payable In Words:Rupees Twenty Four Lakh Eighty Eight Thousand Two Hundreds Eighty One Only

Certified that :

1. The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.
2. The Payment of this bill is not drawn previously.
3. Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
4. Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
5. All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
6. No tools & Plants has been issued to the Contractor.
7. Material has been used by Contractor as per Specifications.

Dated:

खंडीय लेखाकार
सा. नि. वि. खण्ड शाहाबाद

For use in Divisional Office
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड - शाहाबाद
आई० डी० कोड नं०-18436

Courtesy: https://wam.rajasthan.gov.in (Printed on 2/19/2024 5:39:03 PM)

Scanned by CamScanner

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहाबाद

क्रमांक : 1150 दिनांक : 19/02/2024

कार्यालय आदेश

इस खण्ड कार्यालय द्वारा Rajasthan Campa के बिल प्राप्त संख्या 6169540106 दिनांक 19.02.2024 राशि रू. 2488281.00 को बजट मद 3054-03-337-01-01-21 VP के Deposit Amount for Reoatration of Forest Land of Various road in PWD Shahabad की स्वीकृति में वन विभाग Clearance के तहत् भारित कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।
(जलवाड़ा से किशनपुरा)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद
दिनांक : 19/02/2024

क्रमांक : 1150

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है:-

1. उपकोषाधिकारी, उपकोष कार्यालय शाहाबाद ।
2. रक्षित पत्रावली ।

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

htt

Scanned by CamScanner

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 19-02-2024

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169540106
MoEF/SG File No.	8B/RJ/06/04/2015/FC
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division Shahabad, Bus stand Pin-325217Baran
Amount(in Rs)	2488281/-

Amount in Words :Twenty-Four Lakh Eighty-Eight Thousand Two Hundred and Eighty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856169540106 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 19-02-2024

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169540106
MoEF/SG File No.	8B/RJ/06/04/2015/FC
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shahabad, Bus stand Pin-325217 Baran
Amount(in Rs)	2488281/-

Amount in Words :Twenty-Four Lakh Eighty-Eight Thousand Two Hundred and Eighty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856169540106 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Passed For Rs 2488281/- only
[Rs Twenty Four Lakh Eighty Eight Thousand Two Hundred Eighty One only]

अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
शाहाबाद (बारां)
आई० डी० कोड नं०-18436

Scanned by CamScanner

LAYOUT PLAN OF ALTERNATE LAND FOR FOREST

KHASRA NO.: 368

Village: THAKAI, Tehsil : ANTA, Distt. BARAN

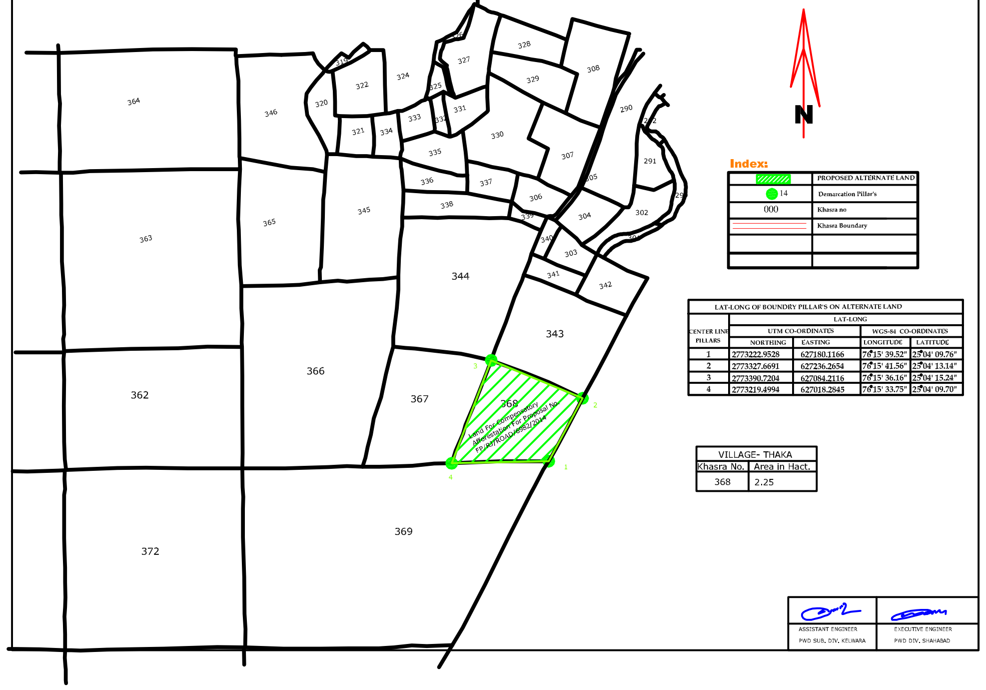

LAT-LONG OF BOUNDRY PILLAR'S ON ALTERNATE LAND				
CENTER LINE PILLARS	LAT-LONG			
	UTM CO-ORDINATES		WGS-84 CO-ORDINATES	
	NORTHING	EASTING	LONGITUDE	LATITUDE
1	2773222.9528	627180.1166	76°15' 39.52"	25°04' 09.76"
2	2773327.6691	627236.2654	76°15' 41.56"	25°04' 13.14"
3	2773390.7204	627084.2116	76°15' 36.16"	25°04' 15.24"
4	2773219.4994	627018.2845	76°15' 33.75"	25°04' 09.70"

VILLAGE- THAKA	
Khasra No.	Area in Hact.
368	2.25

LAYOUT PLAN OF ALTERNATE LAND FOR FOREST

KHASRA NO.: **1173**,1175

Village: SORSON, Tehsil : ANTA, Distt. BARAN

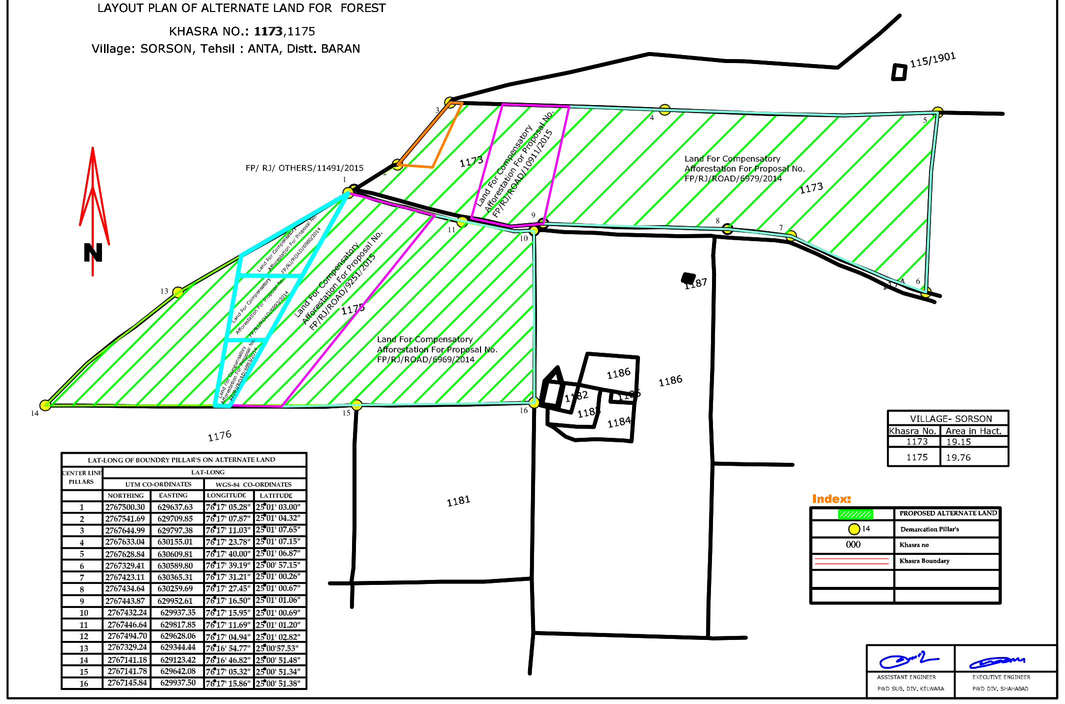

LAT-LONG OF BOUNDRY PILLAR'S ON ALTERNATE LAND				
CENTER LINE PILLARS	LAT-LONG			
	UTM CO-ORDINATES		WGS-84 CO-ORDINATES	
	NORTHING	EASTING	LONGITUDE	LATITUDE
1	2767500.30	629637.63	76°17' 05.28"	25°01' 03.00"
2	2767541.69	629709.85	76°17' 07.87"	25°01' 04.32"
3	2767644.99	629797.38	76°17' 11.03"	25°01' 07.65"
4	2767633.04	630155.01	76°17' 23.78"	25°01' 07.15"
5	2767628.84	630609.81	76°17' 40.00"	25°01' 06.87"
6	2767329.41	630589.80	76°17' 39.19"	25°00' 57.15"
7	2767423.11	630365.31	76°17' 31.21"	25°01' 00.26"
8	2767434.64	630259.69	76°17' 27.45"	25°01' 00.67"
9	2767443.87	629952.61	76°17' 16.50"	25°01' 01.06"
10	2767432.24	629937.35	76°17' 15.95"	25°01' 00.69"
11	2767446.64	629817.85	76°17' 11.69"	25°01' 01.20"
12	2767494.70	629628.06	76°17' 04.94"	25°01' 02.82"
13	2767329.24	629344.44	76°16' 54.77"	25°00'57.53"
14	2767141.18	629123.42	76°16' 46.82"	25°00' 51.48"
15	2767141.78	629642.08	76°17' 05.32"	25°00' 51.34"
16	2767145.84	629937.50	76°17' 15.86"	25°00' 51.38"

VILLAGE- SORSON	
Khasra No.	Area in Hact.
1173	19.15
1175	19.76

LAYOUT PLAN OF ALTERNATE LAND FOR FOREST

KHASRA NO.: 39,41,42,114,115,116,138,149

Village: BILANDI, Tehsil : ANTA, Distt. BARAN

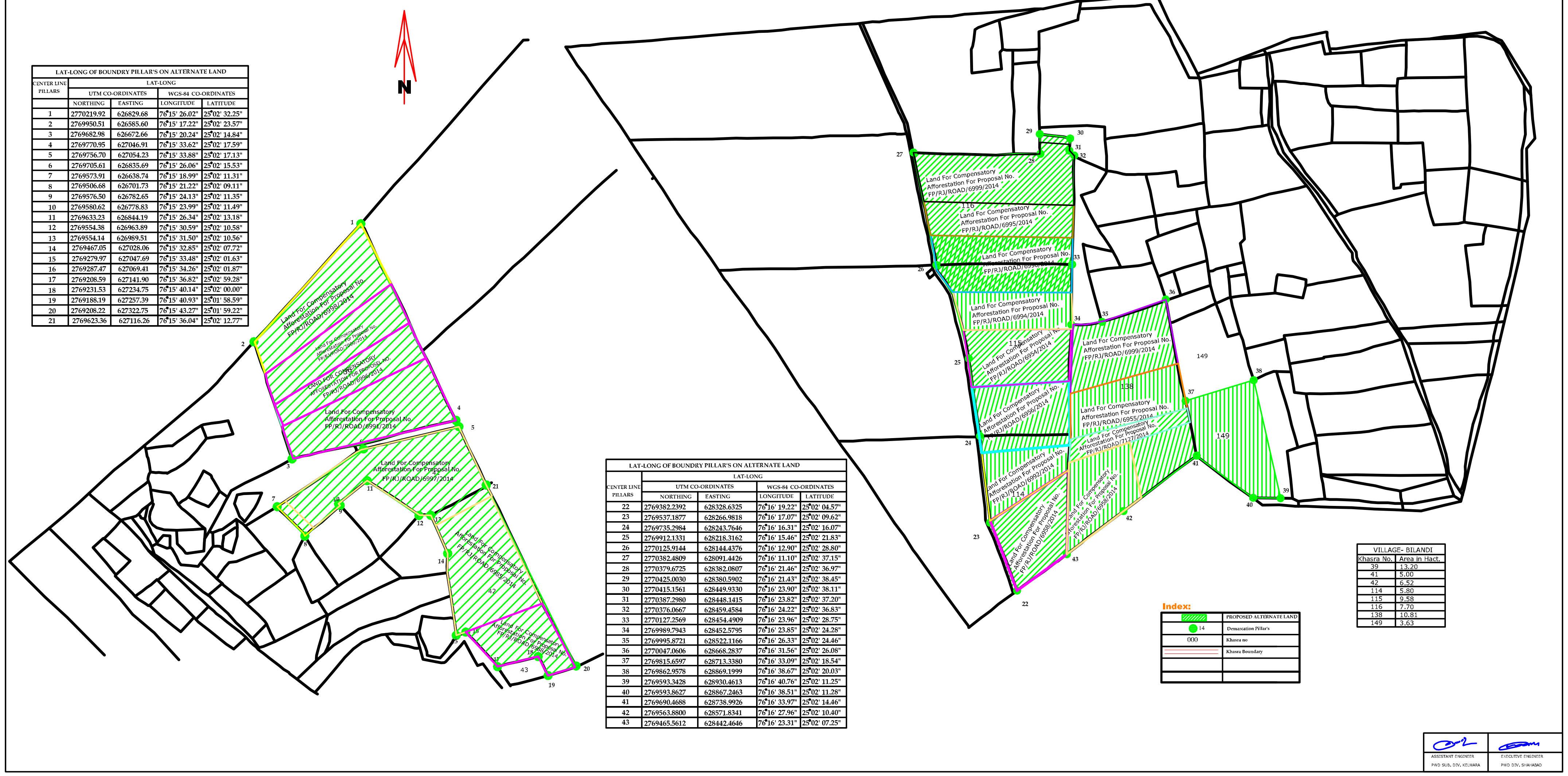

LAT-LONG OF BOUNDRY PILLAR'S ON ALTERNATE LAND				
CENTER LINE PILLARS	LAT-LONG			
	UTM CO-ORDINATES		WGS-84 CO-ORDINATES	
	NORTHING	EASTING	LONGITUDE	LATITUDE
1	2770219.92	626829.68	76°15' 26.02"	25°02' 32.25"
2	2769950.51	626585.60	76°15' 17.22"	25°02' 23.57"
3	2769682.98	626672.66	76°15' 20.24"	25°02' 14.84"
4	2769770.95	627046.91	76°15' 33.62"	25°02' 17.59"
5	2769756.70	627054.23	76°15' 33.88"	25°02' 17.13"
6	2769705.61	626835.69	76°15' 26.06"	25°02' 15.53"
7	2769573.91	626638.74	76°15' 18.99"	25°02' 11.31"
8	2769506.68	626701.73	76°15' 21.22"	25°02' 09.11"
9	2769576.50	626782.65	76°15' 24.13"	25°02' 11.35"
10	2769580.62	626778.83	76°15' 23.99"	25°02' 11.49"
11	2769633.23	626844.19	76°15' 26.34"	25°02' 13.18"
12	2769554.38	626963.89	76°15' 30.59"	25°02' 10.58"
13	2769554.14	626989.51	76°15' 31.50"	25°02' 10.56"
14	2769467.05	627028.06	76°15' 32.85"	25°02' 07.72"
15	2769279.97	627047.69	76°15' 33.48"	25°02' 01.63"
16	2769287.47	627069.41	76°15' 34.26"	25°02' 01.87"
17	2769208.59	627141.90	76°15' 36.82"	25°02' 59.28"
18	2769231.53	627234.75	76°15' 40.14"	25°02' 00.00"
19	2769188.19	627257.39	76°15' 40.93"	25°01' 58.59"
20	2769208.22	627322.75	76°15' 43.27"	25°01' 59.22"
21	2769623.36	627116.26	76°15' 36.04"	25°02' 12.77"

LAT-LONG OF BOUNDRY PILLAR'S ON ALTERNATE LAND				
CENTER LINE PILLARS	LAT-LONG			
	UTM CO-ORDINATES		WGS-84 CO-ORDINATES	
	NORTHING	EASTING	LONGITUDE	LATITUDE
22	2769382.2392	628328.6325	76°16' 19.22"	25°02' 04.57"
23	2769537.1877	628266.9818	76°16' 17.07"	25°02' 09.62"
24	2769735.2984	628243.7646	76°16' 16.31"	25°02' 16.07"
25	2769912.1331	628218.3162	76°16' 15.46"	25°02' 21.83"
26	2770125.9144	628144.4376	76°16' 12.90"	25°02' 28.80"
27	2770382.4809	628091.4426	76°16' 11.10"	25°02' 37.15"
28	2770379.6725	628382.0807	76°16' 21.46"	25°02' 36.97"
29	2770425.0030	628380.5902	76°16' 21.43"	25°02' 38.45"
30	2770415.1561	628449.9330	76°16' 23.90"	25°02' 38.11"
31	2770387.2980	628448.1415	76°16' 23.82"	25°02' 37.20"
32	2770376.0667	628459.4584	76°16' 24.22"	25°02' 36.83"
33	2770127.2569	628454.4909	76°16' 23.96"	25°02' 28.75"
34	2769989.7943	628452.5795	76°16' 23.85"	25°02' 24.28"
35	2769995.8721	628522.1166	76°16' 26.33"	25°02' 24.46"
36	2770047.0606	628668.2837	76°16' 31.56"	25°02' 26.08"
37	2769815.6597	628713.3380	76°16' 33.09"	25°02' 18.54"
38	2769862.9578	628869.1999	76°16' 38.67"	25°02' 20.03"
39	2769593.3428	628930.4613	76°16' 40.76"	25°02' 11.25"
40	2769593.8627	628867.2463	76°16' 38.51"	25°02' 11.28"
41	2769690.4688	628738.9926	76°16' 33.97"	25°02' 14.46"
42	2769563.8800	628571.8341	76°16' 27.96"	25°02' 10.40"
43	2769465.5612	628442.4646	76°16' 23.31"	25°02' 07.25"

VILLAGE- BILANDI	
Khasra No.	Area in Hact.
39	13.20
41	5.00
42	6.52
114	5.80
115	9.58
116	7.70
138	10.81
149	3.63

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No., 07453-230244

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2023-24/5847 दिनांक 24-5-2024

निमित्त:-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :- जलवाडा से किशनपुरा सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।
Proposal no.FP/RJ/ROAD/6954/2014 (2.96 ha)

संदर्भ:- अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद के पत्र कमांक 54 दिनांक 18.04.2024 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जल परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनउ के पत्र कमांक 254 दिनांक 23.08.2016 को प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र कमांक 54 दिनांक 18.04.2024 को स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है :-

क्र.स.		
शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति मे कोई परिवर्तन नही होगा।	शर्त सख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2..96 है0 गैर वन भूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात 2.96 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए रूपये 3,82,284/- (2.96 है0 Rs. 1,29,150 प्रति है0) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.05 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.96 है0 164100/- रू. प्रति हैक्टयर की दर से राशि 485736/- रू. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑनलाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रू. 100344/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑनलाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.96 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4

Scanned with CamScanner

ख्या 3	है0) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	है0) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।
शर्त संख्या 4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रूपये– 18.52 लाख (2.96 है0 Rs. 6.26 लाख प्रति है0) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 4 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.'2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रूपये– (2.96 है0 Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रू. 1852960/– केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑनलाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। अवशेष राशि रू. 982069/– एवं दण्डात्मक राशि रू. 1405868/– कुल राशि रू. 2387937/– केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑनलाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 5	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4' फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देषांक,Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त सख्या 5 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे आर.सी.सी. पिल्लरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त सख्या 6 के तहत वन क्षेत्र में सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जायेगा। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नही है, सडक निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण के दौरान किसी तरह का मक उत्पादित नही होगा। अतः शर्त सं. 6 की अनुपालना में मक डिसपोजल योजना की आवश्यकता नही होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27/2015 बाबूलाल, जाजू, बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेष की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	शर्त सं. 7 की अनुपालना में सडक के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नही लिया गया है।

Scanned with CamScanner

(ख्या 8	प्रयोक्ता अभिकरण एव राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य मे योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिषा निर्देषों का पालन करेंगी।	शर्त सख्या 8 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एव राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य मे योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा–निर्देशो की पालना हेतु अण्डर टेकिग प्रस्तुत की गई। प्रति संलग्न है।
	भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) मे प्रकाषित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।	सलग्न कर दी गई है।

(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022–23/ दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1.अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी राज0 जयपुर।

2.अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद।

(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां

Scanned with CamScanner